रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14/91.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 7 फरवरी, 1991/18 माघ, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 जनवरी, 1991

संख्या पी० बी० डब्ल्यू०(बी० एण्ड आर०) (बी) 1(1)/85-पार्ट-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1987 (1988 का 1) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण नियम, 1991 है ।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,—

(क) 'अधिनियम' से हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1987 (1988 का 1) अभिप्रेत है ;

(ख) 'न्यायालय' से जिलों में, आरम्भिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय अभिप्रेत है, जिसमें अधिग्रहण की जान वाली सम्पति स्थित है ;

(ग) 'प्रारूप' से इन नियमों से संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है ;

(घ) 'धारा' से अधिनियम की धारा अधिप्रेत है ;

(ङ) ऐसे अन्य सब शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमश : उनके हैं।

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा-3 (1) के प्रयोजन के लिये अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया:—धारा 3 की उप-धारा (1) के उप-खण्ड (क) के अधीन सूचना और खण्ड (ख) के अधीन आदेश प्रारूप "अ" में होंगे।

4. अधिग्रहण का आदेश.— धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन अधिग्रहण का आदेश और धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना प्रारूप "आ" में जारी की जायेगी।

5. अन्तिम प्रतिकर का संदाय.—(1) सक्षम प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र धारा-89 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिकर की राशि के प्रति करार की अनुपस्थिति में, धारा-3 की उप-धारा (2) क अधीन, सम्पत्ति अधिग्रहण का आदेश करने के उपरांत और धारा 4 के अधीन किसी सम्पत्ति का कब्जा लेने से पूर्व, यदि ऐसी सम्पत्ति पट्टे पर ली गई है, सम्पत्ति के प्रयोग और अधिभोग के लिये उसकी राय में उचित संदेय राशि क प्रस्ताव की, प्रत्येक हितबद्ध व्यक्ति को संसूचित करेगा और यह भी विनिश्चय करगा, कि उक्त भाटक को प्राप्त करने के लिये कौन व्यक्ति हकदार होगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन अन्तिम भाटक के अवधारण और इस विनिश्चिय के पश्चात् कि उक्त भाटक प्राप्त करने के हकदार कौन व्यक्ति होंगे, उसके द्वारा नियत अन्तिम भाटक की राशि, भाटक प्राप्त करन के हकदार व्यक्ति को प्रारूप "इ" में सूचित करेगा और उक्त नियत भाटक की अठारह प्रतिशत लखागत अदायगी प्रतिमास करेगा।

(3) प्रत्येक ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उप-नियम (2) के अधीन प्रस्ताव किया गया है ऐसे प्रस्ताव की प्राप्ति के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, प्रस्ताव के प्रति अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना लिखित रूप में सक्षम प्राधिकारी को देगा और यदि वह प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे देता है तो सक्षम अधिकारी उसक साथ प्रकृति/परिस्थितियों के अनुसार उपांतरण सहित प्रारूप "ए" म करार करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति जिसे उप-नियम (2) के अधीन प्रस्ताव किया गया है, प्रस्ताव की प्राप्ति के पन्द्रह दिन की अवधि क भीतर ऐसे प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति नहीं देता है, और स्वीकृति लिखित रूप में सक्षम प्राधिकारी को सूचित नहीं करता है, तो सक्षम प्राधिकारी, उसके और कथित व्यक्ति क मध्य हुई असहमति के पूरे तथ्य, स्वरूप और विस्तार की सूचना सरकार को प्रस्तुत करेगा और धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन मध्यस्थ नियुक्त करने के लिये सरकार को अनुरोध करेगा।

6. अधिगृहित सम्पत्ति का ताले तोड़ कर खोलना.—जहां पर धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेश क अनुपालन में अधिगृहीत सम्पत्ति का कब्जा नहीं दिया जाता है, और परिसर में तालाबन्दी

पाई जाती है, तो सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, परिक्षेत्र के दो साक्षियों की उपस्थिति में ताला तोड़ सकेगा और ऐसी सम्पत्ति का कब्जा ले सकेगा :—

परन्तु—

(1) ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी अपना समाधान करेगा कि धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेश की सम्बन्धित पक्षकार को तामील की गई है और पक्षकार आदेश का अनुपालन करने में टालमटोल कर रहा है ;

(2) इस नियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग किसी भी समय सूर्यास्त के पश्चात् या सूर्योदय से पूर्व नहीं किया जायेगा ; और

(3) जहां पर कब्जा इस नियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में लिया जाता है, वहां पर परिसर में पाई गई वस्तुओं की, परिक्षेत्र के दो साक्षियों की उपस्थिति में तालिका तैयार की जायेगी और ऐसी वस्तुऐं सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेगी, और परिसरों में विनश्वर स्वरूप की पाई गई वस्तुओं की दो साक्षियों की उपस्थिति में निलामी की जायेगी और इससे प्राप्त हुआ आगम, यदि कोई हो, इन वस्तुओं के स्वामी या उसके अभिकर्ता को संदत्त किया जायेगा और यदि वे उपलब्ध न हों तो ऐसा आगम इन नियमों के नियम 11 के अधीन न्यायालय में जमा किया जायेगा।

7. अधिगृहीत परिसरों की मुरम्मत.—धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन सूचना प्रारूप 'ई' में होगी। सूचना में मुरम्मत के निष्पादन के लिये ऐसी अवधि विनिर्दिष्ट की जायेगी जो सक्षम प्राधिकारी मुरम्मत के स्वरूप और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, युक्तियुक्त उचित समझे।

8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पत्ति की जांच और निर्मुक्ति के लिये अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया.—(1) सक्षम प्राधिकारी, धारा 6 की उप-धारा (3) के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित मामलों में जानकारी प्राप्त करने के लिए, यदि वह आवश्यक समझे, जांच कर सकेगा या इस निमित्त सशक्त अधिकारी द्वारा जांच करवा सकेगा अर्थात्:—

(i) व्यक्ति का नाम और पता जिससे सम्पत्ति अधिगृहित की गई थी ;

(ii) व्यक्ति का नाम और पता जिसके कब्जे में अधिग्रहण के समय सम्पत्ति है ;

(iii) प्रतिकर प्राप्त कर रहे व्यक्ति का नाम;

(iv) क्या, जब सम्पत्ति अधिगृहीत की गई थी, अधिभोगी को कोई आवास उपलब्ध करवाया गया था या क्या सम्पत्ति खाली करने के लिये उसे कोई प्रतिकर संदत्त किया गया था या क्या अधिभोगियों ने, सम्पत्ति का पुनः अधिभोग के अपने दावों का त्याग कर दिया है, यदि कोई हो ;

(v) क्या अधिभोगी सम्पत्ति का वास्तविक अभिधारी था या क्या अप्राधिकृत अधिभोगी था या विधि के अनुसार सम्पत्ति के प्रत्यस्थापन के लिये उसका कोई दावा नहीं है;

(vi) क्या सम्पत्ति के स्वामी ने, जिसे अधिग्रहण आदेश प्रथमतः तामील किया गया था सम्पत्ति का विक्रय कर दिया है और यदि विक्रय कर दिया है, तो किसे ;

(vii) यदि सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है तो क्या स्वामी ने सम्पत्ति के सभी अधिकार बेच दिए हैं ;

(viii) क्या स्वामी के पक्ष में जिससे सम्पत्ति अधिगृहीत की गई थी, उसे सम्पति का अधिग्रहण-मोचन करने में कोई आक्षेप नहीं है ;

(ix) जांच के समय सम्पत्ति की मुरम्त की स्थिति ;

(x) क्या सम्पत्ति में, सरकार से सम्बन्धित कोई संरचना या वस्तु परिनिर्मित या लगाई गई है और उनका मूल्य ;

(xi) अधिग्रहण के समय सम्पत्ति की स्थिति और टूट-फूट या अप्रतिरोध्यबल से हुए परिवर्तन के अध्याधीन सम्पत्ति उसी तरह अच्छी स्थिति में है जैसी वह कब्जा लेने के समय थी ;

(xii) प्रत्यावर्तन की प्राक्कलित लागत ;

(xiii) कोई अन्य मामला जिसे सक्षम प्राधिकारी, व्यक्ति को जिसे सम्पत्ति का कब्जा दिया जाएगा, विनिर्दिष्ट करने क प्रयोजनार्थ, आवश्यक समझे ।

(2) धारा 6 की उप-धारा (3) के अधीन आदेश प्रारूप "उ" में जारी किया जाएगा ।

(3) धारा 6 के उप-धारा (5) के अधीन सूचना प्रारूप "ऊ" में होगी।

9. माध्यस्थम.—(1) धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त मध्यस्थ, माध्यस्थम कार्यवाहियों को पूरा करगा और धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना अधिनिर्णय देगा ।

(2) मध्यस्थ प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य अभिलिखित करेगा, किन्तु ऐसे साक्ष्य को साधारणतया प्रश्न-उत्तर के रूप में अभिलिखित नहीं करेगा बल्कि वृतान्त रूप में करगा और इस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

(3) जहां मध्यस्थ, माध्यस्थम कार्यवाहियां, समाप्त करने और अपना अधिनिर्णय देने जा रहा है, और इससे पूर्व नया मध्यस्थ नियुक्त कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में नया मध्यस्थ, उसके मद- पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर ऐसा ही संव्यवहार करेगा मानों कि ऐसी साक्ष्य उसने स्वंय अभिलिखित किए हों, और उसक पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ी गई अवस्था से माध्यस्थम कार्यवाहियां आरम्भ करेगा ।

(4) माध्यस्थम और अधिनिर्णय की लागत मध्यस्थ के स्वविवेकानुसार होगी, जो निर्देश दे सकेगा कि, वह लागत पूर्णत: या अंशत: किसकी, किससे और किस रीति में संदत्त की जाएगी । यदि अपील उच्च न्यायालय को की जाती है तो उक्त लागत और अपील की लागत उच्च न्यायालय के स्वविवेकानुसार होगी, जो निर्देश दे सकेगा कि यह लागत पूर्णत: या अंशत: किसको, किसे और किस रीति में संदत्त की जाएगी ।

(5) मध्यस्थ ने जब अपना अधिनिर्णय दे दिया है तो वह इस पर अपने हस्ताक्षर करेगा और अधिनिर्णय और हस्ताक्षर करने की, निर्देश में रत पक्षकारों को लिखित सूचना देगा । वह सक्षम प्राधिकारी और क्षतिपूर्ति किए जाने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों को भी अधिनिर्णय की प्रति, संलग्न टिप्पण संहित जिसमें अधिनिर्णय के आधार लिपिबद्ध किए जाएंगे, भेजेगा और कार्यवाहियों के अभिलेख सहित मूल रूप में निम्नलिखित को भी भेजेगा ,—

(क) उच्च न्यायालय को, यदि अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील, विहित परिसीमा अवधि के भीतर की हो; या

(ख) सक्षम प्राधिकारी को, यदि ऐसी अपील उक्त अवधि के भीतर की गई हो ।

(6) सक्षम प्राधिकारी, अधिनिर्णय की प्रति की प्राप्ति पर, मध्यस्थ द्वारा अधिनिर्णीत राशि, उसके हकदार व्यक्तियों को नियम 10 में विहित नीति में संदत्त करेगा ।

10. प्रतिकर का संदाय.—(1) करार के विरुद्ध न होने पर अधिनिर्णय के अधीन संदेय प्रतिकर की राशि—

(क) जहां सम्पत्ति के अधिक्रमण की तारीख और अधिनिर्णय घोषित किए जाने की तारीख के मध्यवर्ती अधिग्रहण अवधि के बारे में सम्पत्ति के प्रयोग और अधिभोग के लिए आवर्ती संदाय के बकाया के कारण या धारा 9 की धारा (2) के उप-खण्ड (ख) के अधीन अधिनिर्णीत राशि के कारण है, तो यह एक मुश्त संदत्त की जाएगी ;

(ख) जहां उप-नियम (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट अवर्ति संदाय के कारण या धारा 9 की उप-धारा (3) और (4) के अधीन उक्त राशि के पुनरीक्षण के कारण है, उत्तरवर्ती मास, जिसमें संदाय किया जाना है, की पांच तारीख तक संदत्त की जाएगी ।

(2) प्रतिकर की राशि सक्षम प्राधिकारी के स्वविवेकानुसार नकद, उचित रसीद के अधीन या चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा संदत्त की जाएगी ।

(3) प्रत्येक वह व्यक्ति जिसे उप-नियम (1) के अधीन संदाय किया गया है, सक्षम प्राधिकारी के साथ, ऐसे उपान्तरण सहित जैसे कि प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो प्रारूप "ए" में करार करेगा।

11. न्यायालय में राशि का जमा किया जाना.—(1) यदि सम्पत्ति का स्वामी सुगमता से अनुमार्गणीय नहीं है या कोई भी व्यक्ति सम्पत्ति का अन्य संक्रामण करने में सक्षम नहीं है या सम्पत्ति का स्वामित्व विवादग्रस्त है या प्रतिकर प्राप्त करने का हक या प्रतिकर के रूप में प्रस्तावित राशि का प्रभाजन या नियम 6 के परन्तुक के खण्ड (3) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नीलाम किए गए या बेचे गए विनश्वर माल के प्रति कोई विवाद है तो सक्षम प्राधिकारी—

(क) धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन संदेय अनुतिम प्रतिकर या नियम 6 के परन्तुक के खण्ड (3) के अधीन नीलाम किए गए या बेचे गए विनश्वर माल के आगम या उप-धारा (1) के खण्ड (क) या धारा 9 की उप-धारा (2), (3) और (4) के अधीन अवधारित प्रतिकर के रूप में संदेय होने के तुरन्त पश्चात् राशि न्यायलय में जमा करेगा; और

(ख) सम्बन्धित कागजात सहित रिपोर्ट जिसमें मामले के पूर्ण तथ्य दर्शित किए जाएंगें, सरकार को प्रस्तुत करेगा और न्यायालय में जमा राशि के दावे के हकदार व्यक्ति/व्यक्तियों का विनिश्चय करने के लिए धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) के अधीन मध्यस्थ नियुक्त करने का उससे अनुरोध करेगा।

(2) यदि राशि उप-नियम (1) के अधीन जमा की गई है तो न्यायलय इसका संव्यवहार भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 32 और 33 में अधिकथित रीति में किया जाएगा।

12. अपीलें.—(1) धारा 11 या 12 के अधीन अपीलें, सचिव, लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को की जाएंगी;

(2) प्रत्येक अपील में अपील के आधार अन्तर्विष्ट होंगे और उसके साथ उस आदेश की प्रति भी लगाई जाएगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

13. व्यक्तियों या साक्षियों का बुलाया जाना और दस्तावेजों का पेश किया जाना.—किसी व्यक्ति को बुलाने और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करने और शपथ पर उसका, परीक्षण करने या किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने के लिए धारा 14 के अधीन आदेश प्रारूप "ऐ" में जारी किया जाएगा। किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख मंगवाने के लिए आदेश प्रारूप "ओ" में जारी किया जाएगा जबकि साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करने का आदेश प्रारूप "औ" में होगा।

14. परिसरों का निरीक्षण.—सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा साधारण या विशेष आदेश से इस निमित सशक्त कोई अधिकारी, धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, किसी परिसर में सूर्यास्त के पश्चात् या सूर्य उदय से पूर्व प्रवेश नहीं करेगा।

15. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) हिमाचल प्रदेश रैक्विजिशनिंग एण्ड आक्विजिशन आफ इमूवएबल प्राप्रर्टी रूल्ज, 1973 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसे निरसित नियमों के अधीन की गई, कोई बात या कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

अ० कु० महापात्र,
आयुक्त एवं सचिव।

प्ररूप "अ"

(नियम 3 देखें)

हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की जाने वाली सूचना/आदेश का प्रारूप

मैं . . . . . (नाम और पदनाम), हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1987 (1988 का 1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी होने के नाते इस मत का हूं कि इसमें उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है/आवश्यकता की सम्भावना है . . . . . और राज्य के प्रयोजन के लिए उक्त सम्पत्ति अधिगृहीत की जानी चाहिए ;

अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सक्षम प्राधिकारी के रूप में श्री . . . . . से उक्त सम्पत्ति का स्वामी/उक्त सम्पत्ति का कब्जाधारी व्यक्ति होने के नाते इस सूचना की तामील की तारीख से 30 दिन के भीतर कारण बताने की अपेक्षा करता हूं कि क्यों न उक्त सम्पत्ति अधिगृहीत कर ली जाए, मैं और निर्देश देता हूं कि इस सूचना की तामील की तारीख से 2 मास की अवधि की समाप्ति तक न तो भूमि का स्वामी और न अन्य कोई व्यक्ति मेरी अनुज्ञा के बिना उक्त सम्पत्ति को बेचेगा या उसके ढांचे में परिवर्तन करेगा या किराएदार को किराए पर देगा ।

अनुसूची

हस्ताक्षर,

पदनाम,
सक्षम अधिकारी ।

सेवा में

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

प्ररूप "आ"
(नियम 4 देखें)

हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (2) और धारा 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश और नोटिस का प्रारूप ।

हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1987 (1988 का 1) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी किए गए या जारी किए गए समझे जाने वाले नोटिस के अन्तर्गत ( ) . . . . . व्यक्ति का नाम . . . . . (व्यक्तियों) से, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कारण बताने की अपेक्षा की गई थी कि इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति का क्यों न अधिग्रहण किया जाए ;

और उक्त अवधि का अवसान हो चुका है और उक्त नोटिस के विरुद्ध कोई कारण नहीं बताया गया या/नोटिस के विरुद्ध बताए गए कारण पर विचार कर लिया गया है ; अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) और 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं . . . . . .

(नाम लिखें) (पदनाम लिखें)

होने के नाते उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम अधिकारी अपना समाधान कर लेने पर कि ऐसा किया जाना आवश्यक या समाचीन है, उक्त सम्पत्तिका एतद्द्वारा अधिग्रहण करता हू और उक्त (स्वामी/या व्यक्ति जिसके कब्जा में सम्पत्ति हो का नाम लिखें) सूचना की तामील के तीस दिनों के भीतर ..... (अधिकारी का पदनाम लिखें) को, उसका कब्जा अभ्यर्पित या परिदत्त करने का एतद्द्वारा आदेश देता हूं ।

यदि उक्त ..... (स्वामी/या व्यक्ति जिसके कब्जा में सम्पत्ति हो का नाम लिखें) उपर्युक्त आदेश का, अनुपालन करने से इन्कार करता है या अनुपालन करने असफल रहता है, तो मेरे लिए सम्पत्ति का कब्जा लेने और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग करना जैसा आवश्यक हो विधिपूर्ण होगा ।

अनुसूची

हस्ताक्षर

पदनाम

सेवा में

.....

.....

प्रारूप "इ"

[नियम 5 (2) देखें]

हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1987 की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश का प्रारूप

इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति का हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1987 (1988 का 1) के अधीन आदेश संख्या ..... तारीख ..... द्वारा ..... से अधिग्रहण किया गया था/थी ;

और सक्षम प्राधिकारी होने के नाते, मैंने ..... अधिग्रहित सम्पत्ति के उपयोग और अधिभोग के लिए रुपए ..... (केवल .... रुपये) की राशि अनन्तिम संदेय भाटक के रूप में निर्धारित की है ;

अतः अब, धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके हुए, मैं ..... सक्षम प्राधिकारी होने के नाते ..... रुपये की राशि (केवल ..... रुपये) जो उपर्युक्त रकम के 80 प्रतिशत के बराबर है, श्री ..... को प्रतिमास, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि इस प्रकार संदत्त या विनिदत्त रकम, धारा 9 के अधीन संदत्त की जाने वाली प्रतिकर की रकम अवधारित करने के लिए हिसाब में ली जाएगी, संदत्त करने के आदेश देता हू और जहां इस प्रकार संदत्त रकम, धारा

9 के अधीन अवधारित प्रतिकर से अधिक हो जाती है, तो ऐसी अधिक्य राशि जब तक कि उसका अधिनिर्णय की तारीख से तीन मास के भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है तत्पश्चात् संदेय भाटक में से काटी जाएगी ।

अनुसूची

हस्ताक्षर।-
पदनाम
सक्षम प्राधिकारी ।

सेवा में

. . . . . .

. . . . . .

प्रारूप "ई"

(नियम 7 देखें)

सक्षम प्राधिकारी द्वारा हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1987 की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन जारी की जाने वाली सूचना का प्रारूप

हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1987 (1988 का 1) की धारा 3 के अधीन . . . . . से ज्ञातव्य परिसरों का अधिग्रहण किया किया गया है;
(परिसर का नाम दें)

और उक्त परिसरों में इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट मुरम्मत की जानी आवश्यक है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी होने के नाते मैं . . . . . उक्त परिसरों के
(नाम और पदनाम लिखें)
भू-स्वामी . . . . . की, अनुसूची में विनिर्दिष्ट, मुरम्मत को, जो की जानी आवश्यक है और यह भू-स्वामी द्वारा उस परिक्षेत्र में स्थित परिसरों में प्रायः की जाती है, इस सूचना की तामील की तारीख से . . . . . की अवधि के भीतर निष्पादित करने का आदेश देता हूं।

यदि उक्त भू-स्वामी इस आदेश में विनिर्दिष्ट पूर्वोक्त अवधि के भीतर मुरम्मत निष्पादित करने में असफल रहता है तो मैं इसे उसके खर्च पर निष्पादित करवाऊंगा और उसकी लागत की, वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसको संदेय प्रतिकर में से कटौती की जाएगी

अनुसूची

हस्ताक्षर
पदनाम
सक्षम प्राधिकारी ।

सेवा में

. . . . . .

. . . . . .

प्रारूप "उ"

[नियम 8 (2) देखें]

हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1987 की धारा 6 (3) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश का प्रारूप

हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1987 के अधीन आदेश संख्या . . . . . तारीख . . . . . द्वारा इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति का अधिग्रहण किया गया था ;

और अब यह विनिश्चित किया गया है कि उक्त सम्पत्ति . . . . . से अधिग्रहण से निर्मुक्त की जाएगी ;

अतः अब, हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1987 (1988 का 1) की धारा 6 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं . . . . . सक्षम प्राधिकारी होने के नाते . . . . . एतद्द्वारा श्री/सर्वश्री . . . .
(नाम और पदनाम)
व्यक्ति/व्यक्तिगण को विनिर्दिष्ट करता हूं जिन्हें उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिया जाएगा।

अनुसूची

हस्ताक्षर

पदनाम।

सेवा में

. . . . . .

. . . . . .

प्रारूप "ऊ"

[नियम 8 (3) देखें]

हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप-धारा (5) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की जाने वाली सूचना का प्रारूप

हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1987 की धारा . . . . . अधीन . . . . . आदेश संख्या . . . . . तारीख . . . . द्वारा . . . . . (तारीख) से इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति का लोक प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया गया था ;

और अब यह विनिश्चित किया गया है कि उक्त सम्पत्ति को अधिग्रहण से निर्मुक्त कर दिया जाएगा ;

और हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1987 (1988 का 1) की धारा 6 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी होने के नाते, मैंने, ... को विनिर्दिष्ट किया है जिसे
(नाम व पदनाम) (व्यक्ति का नाम)
जिस उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिया जाएगा ;

और उक्त श्री . . . . . का पता नहीं लगाया जा सकता है और उसकी ओर से परिदान को स्वीकार करने के लिए कोई एजैंट या अन्य व्यक्ति सशक्त नहीं है ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं ..... एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि उक्त सम्पत्ति
(नाम और पदनाम)
को अधिग्रहण से निर्मुक्त किया जाता है।

अनसूची

हस्ताक्षर
पदनाम।

सेवा में

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

प्रारूप "ए"

[नियम 5 (3) और 10 (3) देखें]

जब अदायगी पूर्ण या अन्तिम रूप में कर दी गई हो, सरकार की ओर से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिगृहीत स्थावर सम्पत्ति के स्वामियों के साथ किए जाने वाले करार का प्रारूप

यह करार का ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में .....जो.....का पुत्र है, जिसका.....है, ...में रह रहा है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्वामी कहा गया है और इस पद के अन्तर्गत उसके वारिस/निष्पादक, प्रशासक, समनुदेशिती भी समझे जाएंगे जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा निवारित या उसके विरुद्ध न हो) और दूसरे पक्षकार के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकार कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिती या स्थावर सम्पत्ति जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सम्पत्ति कहा गया है, जिसका विवरण अधोलिखित अनुसूची में दिया गया है, का, हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1987 (1988 का 1) और उसके तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन अधिग्रहण किया गया है और सरकार द्वारा या उसकी ओर से या सरकार के प्राधिकाराधीन उसका कब्जा 19.....के.....मास .....के.....के दिन लिया गया है) स्वामी/स्वामियों ने सरकार से निवेदन और कथन किया है कि उक्त सम्पत्ति की बाबत संदेय सभी प्रतिकर को प्राप्त करने के केवल स्वामी/स्वामी ही है और किसी अन्य व्यक्ति का ऐसे प्रतिकर या उसके किसी भाग को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, उक्त सम्पत्ति में भूमि और इमारतें हैं और सरकार ने उक्त इमारतें गिरा दी हैं ;

स्वामी/स्वामियों और सरकार ने, उक्त अधिग्रहण सम्बन्धी स्वामी/स्वामियों को सरकार द्वारा संदेय प्रतिकर राशि, को इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित रीति में तय करने के लिए परस्पर सहमति दे दी है ;

अतः पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित पर सहमति हुई है:—

(1) कि सरकार, इमारतों (ढांचों) के प्रतिकर के पूर्ण भुगतान में.....रुपये की राशि स्वामी/स्वामियों को अदा करेगी और वे इसे स्वीकार करेंगे (यदि स्वामी की इमारत न हो, तो छोड़ दें) ;

(2) कि सरकार अब तक उक्त सम्पत्ति सरकार के कब्जे में और अधिग्रहण में रहती है, 19.....के मास.....के.....दिन से उक्त सम्पत्ति के लिए वर्ष में प्रतिमास/प्रति त्रिमास.....रुपये की राशि बकाया के रूप में स्वामी/स्वामियों को संदत्त करेगी और वे इस राशि की स्वीकार करेंगे ;

(3) कि स्वामी/स्वामियों द्वारा कथित अधिग्रहण सम्बन्धी किसी अन्य प्रतिकर का, जो भी हो, दावा नहीं किया जाएगा या वे इसके हकदार नहीं होंगे ;

(4) स्वामी/स्वामियों द्वारा कथित सम्पत्ति सम्बन्धी, राजस्व भाटक, नगरपालिका कर और अन्य व्यय वहन और संदत्त किये जाएंगे चाहे वे स्वामी/स्वामियों द्वारा या अधिभोगी/अधिभोगियों द्वारा संदेय हों;

(5) यदि इसके पश्चात् मालूम हो जाता है कि स्वामी/स्वामियों का कथित सम्पत्ति के सम्बन्ध में संदेय पर हक या अनन्य हक नहीं है या यदि सरकार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिकर प्रदत्त किया जाना है, तो वे ऐसे प्रतिकर या उसके किसी भाग को जिन पर उनका हक नहीं है, सरकार को वापिस कर देंगे और स्वामी/स्वामियों द्वारा व्यपदेशित हक में कोई त्रुटि या चूक के कारण सरकार को हुई हानि या क्षति के प्रति वे सरकार की क्षतिपूर्ति करेंगे । सरकार, प्रतिदाय के प्रवर्तन के लिए किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रतिदाय और क्षतिपूर्ति के रूप में संदेय किसी भी राशि को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर सकेगी;

(6) कि इस करार के विषय या प्रसंविदा-खण्ड या इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात या अन्यथा उक्त अधिग्रहण के प्रति किसी विवाद या मतभेद उद्भूत होने पर मामला, सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को निर्दिष्ट किया जाएगा और मध्यस्थ का विनिश्चय निश्चायक और पक्षकारों पर आबध्यकर होगा । ऐसे माध्यस्थम के लिए, माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के उपबन्ध लागू होंगे ।

उक्त निर्दिष्ट अनुसूची)

(उद्गृहीत सम्पत्ति की विशिष्टियां और उसका विवरण)

इसके साक्ष्य-स्वरूप, यह करार उक्त लिखित वर्ष और तारीख को निष्पादित किया गया ।

.....की उपस्थिति में उक्त उल्लिखित स्वामी/स्वामियों द्वारा हस्ताक्षरित और परिदत्त किया गया ।

.....की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षरित और परिदत्त किया गया ।

प्रारूप "ऐ"

(नियम 13 देखें)

साक्षी को समन

19.....का मामला संख्यांक.....के कार्यालय में.....

.....के बारे में प्रस्तावित अधिग्रहण/प्रतिकर का नियतन

सेवा में

.....

.....

मामले में सूची में वर्णित साक्ष्य देने/दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आप की हाजिरी अपेक्षित है । अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 19.....के.....मास के..... दिन को पूर्वाह्न/अपराह्न.....बजे (व्यक्तिगत रूप में) उपस्थित होने और अपने साथ कथित दस्तावेज लाने (या इस कार्यालय को भेजने) की आपसे अपेक्षा की जाती है ।

यदि आप किसी विधिपूर्ण कारण के बिना इस आदेश की अनुपालना करने में असफल रहते हैं तो आप सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश (*xvi*) के नियम 12 में अधिकथित अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने के दायी होंगे ।

यह आज तारीख.....को मेरे हस्ताक्षर से और कार्यालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

मोहर ।

सक्षम अधिकारी/मध्यस्थ ।

प्रारूप "ओ"

(नियम 13 देखें)

लोक अभिलेख का मंगाया जाना

सेवा में,

....
.....
.....

कृपया.....के बारे में प्रस्तावित अधिग्रहण/प्रतिकर के नियतन से सम्बन्धित निम्न उल्लिखित को मेरे परीक्षण के लिए धारक/अपने क्लर्क द्वारा तारीख.....को भजने की व्यवस्था करें ।

यह आज तारीख.....को मेरे हस्ताक्षर से और कार्यालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

अभिलेख के ब्यौरे

1. .....
2. .....
3. .....

मोहर । सक्षम प्राधिकारी/मध्यस्थ ।

प्रारूप "औ"

(नियम 13 देखें)

कमीशन का प्रारूप

.....के मामले में निम्न रूप से आदिष्ट किया जाता है,—

1. कमीशन.....के.....को.....कमीशन के रूप में निम्नलिखित साक्षियों के प्रतिप्रश्न या मौखिक परीक्षण करने के लिए निदेश दे सकेगा:—

1. .....
2. ....
3. ....

2. किसी साक्षी की परीक्षा, प्रति परीक्षा या पुनः परीक्षा के समय किसी पुस्तक, दस्तावेज, पत्र, कागजात या लिखित को ऐसा साक्षी अपने ब्यान में अच्छे हेतुक को दर्शा कर, उनमें अन्तर्विष्ट किसी अन्तर्वस्तु, को मूल रूप में प्रस्तुत करने से इन्कार कर देता है, तो कमिशनर द्वारा शुद्ध और सही रूप में उसकी प्रतिलिपि या उद्धहरण सम्यक रूप से प्रमाणित करके, साक्षी के ब्यान साथ उपाबद्ध किए जाएंगे ।

3. कमिशन के अधीन परीक्षित किए जाने वाले प्रत्येक साक्षी को, उसके धर्मानुसार उक्त कमिशनर द्वारा या उसके समक्ष, शपथ, प्रतिज्ञान पर या अन्यथा परीक्षण किया जायगा ।

4. उक्त कमीशन के अधीन और उसके द्वारा लिए गए ब्यान, कमिशनर/साक्षी/साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाएंगे ।

5. प्रश्निप्रश्न, प्रतिप्रश्निप्रश्न और उसमें निर्दिष्ट किन्हीं दस्तावेजों या उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियों या उद्धाहरणों सहित ब्यान तारीख.....को या इससे पूर्व या आगे ऐसी तारीख या अन्य दिन को जो रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा आदिष्ट किया जाए, सक्षम, प्राधिकारी/मध्यस्थ को भेजे जाएंगे ।

आज तारीख.....मास.....दिन.....।

सक्षम प्राधिकारी/मध्यस्थ ।

[*Authoritative English text of the Rules under section* 24 *of the Himachal Pradesh Sthavar Sampati Adhigrahan Act,* 1987 (*Act No.* 1 *of* 1988) *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th January, 1991

No. PBW (B&R) (B)1 (1) 1/85-Part-II.—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Himachal Pradesh Requisition of Immovable Property Act, 1987 (Act No. 1 of 1988), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

1. *Short title.*—These rules may be called the Himachal Pradesh Requisition of Immovable Property Rules, 1991.

2. *Definitions.*—In these rules, unless these is anything repugnant in the subject or context,—

(*a*) 'Act' means the Himachal Pradesh Requisition of Immovable Property Act, 1987 (Act No. 1 of 1988);

(*b*) Court' means a principal Civil Court of original jurisdiction in the District in which the property requisitioned is situated;

(*c*) "Form" means a form appended to these rules;

(*d*) "section" means a section of the Act; and

(*e*) all other words and expressions used in these rules, but not defined in these rules, shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. *Procedure to be followed by competent authority for the purpose of section* 3 (1) .—A notice under clause (*a*) and an order under clause (*b*) of sub-section (1) of section 3 shall be in Form 'A'.

4. *Order of requisition* .—The order of requisition under sub-section (2) of section 3 and the notice under sub-section (1) of section 4 shall be issued in Form 'B'.

5. *Payment of provisional compensation* .—In the absence of an agreement as to the amount of compensation under clause (*a*) of sub-section (1) of section 9, the competent authority as soon as may be possible, after making order of requisition of the property under sub-section (2) of section 3 and before taking possession of any property under section 4, shall communicate to each person interested in an offer of, what in the opinion of the competent authority is a fair

amount payable for the use and occupation of the property, if it had been taken on lease and shall also decide the person who is entitled to receive the said rent.

(2) After the determination of the provisional rent under sub-rule (1) and decision as to the person (*s*) who will be entitled to receive the said rent, the competent authority shall intimate the amount of provisional rent fixed by him to the person entitled to receive the rent in Form "C" and make every month payment of eighty per cent on account of the said rental fixed by him.

(3) Every person interested to whom an offer is made under sub-rule (2) shall within fifteen days of receipt of offer communicate in writing to the competent authority his acceptance or otherwise of the offer and where he accepts the offer, the competent authority shall enter into an agreement with him in Form 'G' with such modification as the nature/circumstances of the case may require.

(4) If any person to whom an offer is made under sub-rule (2) does not accept the offer within fifteen days of the receipt of the offer and communicate in writing to the competent authority, the competent authority shall report to the Government full facts and nature and extent of disagreement between himself and the said person and request the government to appoint an arbitrator under clause (*b*) of sub-section (1) of section 9.

6. *Breaking, open of locks of requisitioned property.*—Where the possession of a requisitioned property is not handed over in compliance with an order issued under sub-section (1) of section 4 and the premises are found locked, the competent authority or any other person authorised by it in writing in this behalf may break open the lock in the presence of two witnesses of the locality and take possession of the property:

Provided that—

(*i*) before any such action is taken the competent authority shall satisfy itself that the order under sub-section (1) of section 4 has been duly served on the party concerned and that the party is evading compliance with the order;

(*ii*) the powers under this rule shall not be exercised at any time after sunset or before sunrise; and

(*iii*) where possession is taken in pursuance of the powers conferred by this rule, an inventory of the articles found in the premises shall be made in the presence of two witnesses of the locality and such articles shall be stored in safe custody and articles of perishable nature found in the premises shall be auctioned/sold in the presence of two witnesses and proceeds, if any, therefrom shall be paid to the person who is owners of such articles or his agent and in case such a person is not available such proceeds shall be deposited in the court under rule 11 of these rules.

7. *Repairs to requisitioned premises.*—A notice under sub-section (2) of section 5 shall be in Form 'D'. The time for execution of repairs to be specified in the notice shall be such as the competent authority may deem reasonable having regard to the nature of repairs and other circumstances of the case.

8. *Procedure to be followed by the competent authority for enquiry and releasing the property.*—(1) For the purposes of sub-section (3) of section 6, of the competent authority may, if it considers it necessary so to do, make or cause to be made by an officer, empowered in this behalf by it, an enquiry to obtain information in respect of the following matters, namely:—

(*i*) the name and address of the person from whom the property was requisitioned;

(*ii*) the name and address of the person in possession of the property at the time when property was requisitioned;

(*iii*) the name of the person who has been receiving compensation;

(*iv*) whether any alternative accommodation was provided to the occupant when the property was requisitioned or whether any compensation was paid to him for vacating the property, or whether the occupants, if any, relinquished their claims for reoccupation of the property;

(*v*) whether the occupant was a bonafide tenant of the property or was an unauthorised occupant or has no claim in law for the restitution of the property;

(*vi*) whether the owner of the property on whom the requisitioning order was first served, had sold the property and if so to whom;

(*vii*) in case the property has been sold, whether the owner has sold all rights in respect of the property;

(*viii*) whether there is any objection to the property being de-requisitioned in favour of the owner from whom the property was requisitioned;

(*ix*) the state of repairs of property at the time of enquiry;

(*x*) whether any structure or articles belonging to Government have been erected or installed in the property and their value;

(*xi*) the condition of the property at the time of requisition and whether the property is in as good a condition as it was when possession thereof was taken subject to change caused by reasonable wear and tear or irresistible force;

(*xii*) the estimated cost of restoration; and

(*xiii*) any other matter that the competent authority may consider necessary for the purpose of specifying the person to whom possession of the property may be given.

(2) An order under sub-section (3) of section 6 shall be issued in Form 'E'.

(3) A notice under sub-section (5) of section 6 shall be issued in Form 'F'.

9. *Arbitration.*—(1) An arbitrator appointed under clause (*b*) of sub-section (1) of section 9 shall complete the arbitration proceedings and give his award within the period specified clause (*e*) of sub-section (1) of section 9.

(2) An arbitrator shall take down the evidence of each witness, not ordinarily in the form of question and answer, but in that of a narrative and shall sign it.

(3) Where before an arbitrator is able to finish the arbitration proceedings and make his award, a new arbitrator is appointed, the arbitrator may deal with the evidence taken down by his predecessor as if such evidence had been taken down by him and may proceed with the arbitration proceedings from the stage at which his predecess or left it.

(4) The costs of arbitration and award shall be in the discretion of the arbitrator who may direct to, and by whom, and in what manner, they or any part thereof shall be paid and in case an appeal is preferred to the High Court, such costs and the costs of the appeal shall be in the discretion of the High Court, who may direct to, and by whom and in what manner they or any part thereof shall be paid.

(5) When the arbitrator has made his award, he shall sign it and shall given notice in writing to the parties to the reference of the making and signing thereof. He shall also send to the competent authority as well as to the person or persons to be compensated, a copy of the award with a note appended thereto setting forth the grounds on which the award is based and shall also forward the award in original together with the records of the proceedings,—

(*a*) to the High Court if an appeal is preferred against the award within the period of limitation prescribed for preferring such appeal; or

(*b*) to the competent authority if no such appeal is preferred within the said period .

(6) On receipt of a copy of the award, the competent authority shall pay the amount awarded by the arbitrator to the persons entitled thereto in the manner prescribed under rule 10.

10. *Payment of compensation.*—In the absence of an agreement to the contrary, the amount of compensation payable under an Award—

(*a*) where it is on account of arrears of recurring payment for the use and occupation of the property in respect of the period of requisition intervening the date of requisition of property and the date on which award is announced or on account of sum awarded under clause (*b*) of sub-section (2) of section 9, shall be paid in lump-sum; and

(*b*) where it is either on account of recurring payment referred to in clause (*a*) of sub-section (2) on account of revision of said amount under sub-section (3) and (4) of section 9 shall be paid by the 5th day of each succeeding month in relation to which payment is to be made.

(2) The amount of compensation shall, at the discretion of the competent authority, be paid either in cash under proper receipt or by cheque or by bank draft.

(3) Every person to whom payment is made under sub-rule (1) shall enter into an agreement with the competent authority in Form 'G' with such modifications as the nature and circumstances may require.

11. *Deposit in Court* .—(1) If the owner of the property is not easily traceable or if there be no person competent to alienate the property or if the ownership of the property is in dispute or if there be any dispute as to the title to receive the compensation or as to the apportionment of the amount offered as compensation, or as to the proceeds of perishable goods auctioned or sold by the competent authority under clause (*iii*) of proviso to rule 6, the competent authority shall—

(*a*) deposit in court the amount as soon as it becomes payable as the provisional compensation payable under sub-section (3) of section 4, or as the proceeds of perishable goods auctioned or sold under clause (*iii*) of proviso to rule 6 or as the compensation, determined either under clause (*a*) of sub-section (1) or under sub-section (2), (3) and (4) of section 9; and

(*b*) submit to the government a report setting forth the full facts of the case with all connected papers and request the Government to appoint an arbitrator to decide under clause (*f*) of sub-section (1) of section 9, as to the person or persons who is/are entitled to claim the amount deposited in the court.

(2) If any money is deposited in the court under sub-rule (1) the court shall deal with it in the manner laid down in sections 32 and 33 of the Land Acquisition Act, 1894.

12. *Appeals* .—(1) Appeals under sections 11 or 12 shall be preferred to the Secretary to the Government of Himachal Pradesh in the Department of Public Works.

(2) Every appeal shall contain the grounds of appeal and shall be accompanied by a copy of the order against which the appeal is preferred.

13. *Summoning of persons and witnesses and production of documents.*—An order under section 14 for summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath or, requiring the discovery and production of any document shall be issued in Form 'H'. An order requisitioning the public records from any court or office shall be issued in Form "I" while an order issuing commissions for examination of witnesses shall be in Form 'J'.

14. *Inspection of permises.*—The competent authority, or any officer, empowered in this behalf by such authority by general or special order, shall not in exercise of the power conferred by section 16 enter upon any premises after sunset or before sunrise.

15. *Repeal and savings*:—**(1)** The Himachal Pradesh Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Rules, 1973 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or action taken in exercise of the powers conferred by the rules so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order,

A.K. MOHAPATRA,
Commissioner-cum-Secretary.

FORM 'A'

(*See* rule 3)

FORM OF NOTICE/ORDER TO BE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY UNDER SECTION 3 OF THE HIMACHAL PRADESH REQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY ACT, 1987

Whereas, I———————————————(name and designation), being the competent authority under the Himachal Pradesh Requisition of Immovable Property Act, 1987 (Act No. 1 of 1988) am of the opinion that the property described in the Schedule hereto annexed is needed or/likely to be needed for a public purpose———————————————— being a purpose of the State and that the said property should be requisitioned;

Now, therfore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the said Act, I, as the competent authority, hereby call upon Shri———————————————— being the————————————————the owners of the said property/person in possession of the said property to show cause within thirty days of the date of service of this notice upon him why the said property should not be requisitioned and I further direct that neither the owner of the said property nor any other person shall without my permission dispose of or structurally alter the said property or let it out to a tenant until the expiry of two months from the date of service of this notice upon him.

Signature,

Designation,
Competent Authority.

SCHEDULE

To

———————————————

———————————————

———————————————

FORM 'B'

(*See* rule 4)

FORM OF THE ORDER AND NOTICE TO BE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY UNDER SUB-SECTION (2) OF SCTION 3 AND SECTION 4 OF THE HIMACHAL PRADESH REQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY ACT, 1987

Whereas by a notice issued or deemed to be issued under sub-section (1) of section 3 of the Himachal Pradesh Requisition of Immovable Property Act, 1987 (1 of 1988)————————

[enter name of person (s)] was called upon to show cause within the period specified therein why the property specified in the Schedule hereto annexed should not be requisitioned;

And whereas the said period has expired and no cause has been shown against the said notice or/the cause shown against the notice has been considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 and by sub-section (1) of section 4 of the said Act, I,——————(Name)——————(designation) being a competent authority under the said Act, having been satisfied that it is necessary or expedient so to do, do hereby requisitio n the said property and I hereby order the said ——————(enter the name of owner/of person in possession of the property) to surrender or deliver possession thereof to —————— (enter designation of officer) within thirty days of the service of this notice.

If the said——————(enter the name of owner/of person in possession of the property) refuse or fails to comply with the above order, it shall be lawful for me to take possession of the property and for that purpose to use such force as may be necessary.

SCHEDULE

Signature,

Designation.

To

——————

——————

——————

FORM 'C'

[(*See* rule 5 (2)]

FORM OF ORDER TO BE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY UNDER SUB-SECTION (3) OF SECTION 4 OF THE HIMACHAL PRADESH REQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY ACT, 1987

Whereas the property specified in the Schedule annexed hereto was requisitioned *vide* order No.....dated.....*w.e.f.*the .....under the Himachal Pradesh Requisition of Immovable Property Act, 1987 (Act No. 1 of 1988) ;

And whereas I,..... being the competent authority, have assessed the sum of rupees.....(Rupees..... only) as provisional rent payable for the use and occupation of the requisitioned property ;

Now, therefore, in exercise of the powers vested under sub-section (3) of section 4, I,..... being the competent authority order the sum of Rs.....(Rupees.....) only, which is equivalent to eighty percentum of the aforesaid amount, shall be paid to Shri.....every month, subject to the condition that the amount so paid or tendered shall be taken into account for determining the amount of compensation required to be paid under section 9 and where the amount so paid exceeds the compensation determined

under section 9, the excess, unless refunded within three months from the date of award, shall be deducted from the rental payable thereafter.

SCHEDULE

Signature,

Designation,
Competent Authority.

To

.....

.....

FORM 'D'

(*See* Rule 7)

FORM OF NOTICE TO BE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 5 OF THE HIMACHAL PRADESH REQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY ACT, 1987

Whereas the premises known as.....have been requisitioned under section 3 of the Himachal Pradesh Requisition of Immovable Property Act, 1987 (1 of 1988) ;

And whereas the said premises are in need of repairs specified in the Schedule hereto appended ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, I.....being the competent authority
(enter name and designation)
under the said Act, do hereby order.....the landlord of the said premises to execute the repairs, specified in the Schedule, being repairs which are necessary and are usually made by the landlords in the locality in which the premises are situated within a period of..... from the date of service of this notice.

If the said landlord fails to execute the repairs specified in this order within the aforesaid period, I shall cause the same to be executed at his expense and the cost thereof shall, without prejudice to any other mode of recovery, be deducted from the compensation payable to him.

SCHEDULE

Signature,

Designation,
Competent Authority.

To

.....

.....

.....

FORM 'E'

[*See* rule 8 (2)]

FORM OF THE ORDER TO BE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY UNDER SECTION 6 (3) OF THE HIMACHAL PRADESH REQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY ACT, 1987

Whereas the property specified in the Schedule annexed hereto was requisitioned *vide* order .....No.....dated.....with effect from the..... under the Himachal Pradesh Requisition of Immovable Property Act, 1987 ;

And whereas it has how been decided that the said property shall be released from requisition with effect from.....;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 6 of the Himachal Pradesh Requisition of Immovable Property Act, 1987 (No. 1 of 1988) I,..... (Name and designation) ....., being the competent authority, hereby specify Mr./Messrs. .....as the person/persons to whom possession of the said property shall be given.

SCHEDULE

Signature,

Designation.

To

.....

.....

.....

FORM "F"

[*See* rule 8 (3)]

FORM OF NOTICE TO BE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 6 OF THE HIMACHAL PRADRSH REQUISITION OF IMMOVABLE ACT, 1987

Whereas the property specified in the Schedule hereto annexed was requisitioned for a public purpose *vide* order No.....date.....with effect from the..... under section 6 of the Himachal Pradesh Requisition of Immovable Property Act, 1987 ;

And whereas it has been decided that the said property shall be released from requisition ;

And whereas, in exercise of the powers conferred by section (3) of section 6 of the Himachal Pradesh Requisition of Immovable Property Act, 1987 (Act No. 1 of 1988) I,..... (name & designation) being the competent authority under the said Act have specified Shri..... as the person to whom possession of the said property shall be given ;

And whereas the said Shri.....cannot be found and has no agent or other person empowered to accept delivery on his behalf ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 6 of the said Act, I....., do hereby declare that the said property is released
(name & designation)
from requisition.

SCHEDULE

Signature,

Designation.

To

.....

.....

(FORM 'G')

[*See* rule 5 (3)]

[*See* rule 10 (3)]

FORM OF AGREEMENT TO BE MADE BY THE COMPETENT AUTHORITY ON BEHALF OF STATE GOVERNMENT WITH OWNERS OF IMMOVABLE PROPERTY REQUISITIONED, WHEN PAYMENT IS MADE IN FULL OR PROVISIONALLY

Memorandum of agreement made this.....day of one thousand nine hundred and.....between .....son of .....by occupation.....at present residing at.....hereinafter referred to as the owner (which expression shall unless excluded by or be repugnant to the context be deemed to include his heirs/their respective executors, administrators and assigns) of the one part and the Governor of Himachal Pradesh (hereinafter referred to as "the Government" which expression shall mean and include his successors-in-office and assigns) of the other part ;

Whereas the immovable property particulars whereof are set out in the Schedule hereunder written (hereinafter called the said property) has been requisitioned under the Himachal Pradesh Requisition of Immovable Property Act, 1987 (Act No. 1 of 1988) and the rules framed thereunder and on the.....day of .....19.....taken possession of by or on behalf of or under the authority of the Government ;

And whereas the owner has/owners have represented and stated to be Government that the owner/owners alone is/are entitled to all compensation payable in respect of the said property and no other person has any right to such compensation or any part thereof ;

And whereas the said property consists, *inter alia* of land and structures and the Government has dismantled the said structures ;

And whereas the owner/owners and the Government have mutually agreed to settle the amount of compensation payable by the Government to the owner/owners in connection with the said requisition in the manner hereinafter appearing;

Now it is hereby agreed by and between the parties as follows:—

(1) The Government shall pay and the owner/owners shall accept and receive a sum of Rs.....in full settlement of the compensation for the structures; (omit if the owner had no structures).

(2) The Government shall pay and the owner/owners shall accept and recive a payment of Rs.....per month/quarterly/yearly in arrear for the said property with effect from the said day of .....19.....so long as the Government shall remain in possession thereof and the requisition continues;

(3) that the owner/owners shall not claim or be entitled to any other compensation whatsoever in connection within the said requisition;

(4) that the owner/owners shall meet and pay the revenue, rent, municipal taxes and all other outgoings relating to the said property whether payable by the owner/owners or the occupier thereof;

(5) that if it hereafter transpires that the owner/owners is/are not entitled or exclusively entitled to the compensation payable in respect of the said property or if the Government have to pay any compensation to any other person, the owner/owners shall refund to the Government the compensation paid or such part thereof as the owner/owners is/are not entitled to and shall otherwise indemnify the Government against any lose or damage suffered by the Government by reason of any fault or defect in title as represented by the owner/owners, without prejudice to any other remedies for the enforcement of such refund and indemnity, the Government may recover any sum payable by way of refund and/or indemnity as arrears of land revenue;

(6) that should any dispute or difference arise out of or concerning the subject matter of these presents or any covenant clause or thing herein contained or otherwise arising out of the requisition aforesaid the same shall be referred to an arbitrator to be appointed by the Government and the decision of such arbitrator shall be conclusive and binding on the parties hereto. The provisions of the Arbitration Act, 1940, shall apply to such arbitration.

Schedule above referred to

(Particulars and description of property requisitioned)

In witness whereof these presents have been executed the day and year first above written.

Signed and delivered by the above named owner/owners in presence of.....

Signed and delivered for and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh in the presence of .....

FORM 'H'

(*See* rule 13)

SUMMONS TO WITNESS

Case No.....of 19.....

In the office.....proposed requisition/fixation of compensation in respect of.....

To

.....

.....

Whereas your attendance is required to give evidence/produce the documents described in the list enclosed in the case, you are hereby required (personally) to appear before the undersigned on the.....day of.....19....at.....O' clock in the forenoon/afternoon and to bring with you (or to send to this office) the said documents;

In case you fail to comply with this order without lawful excuse, you will be subject to the consequences of non-attendance laid down in rule 12 of order XVI of the Code of Civil Procedure.

Given.....under my hand and seal of this office.....day of.....19.....

Seal.

Competent Authority/Arbitrator.

FORM 'I'

(*See* rule 13)

REQUISITION FOR PUBLIC RECORD

To

.....

.....

.....

Please arrange to send per bearer/through your clerk on.....the public record(s) mentioned below for my examination in connection with the proposed requisitioning/fixation of compensation in respect of.....

Given under my hand and seal of this office, this.....day of.....19.....

Details of records

1. .....
2. .....
3. .....

Competent Authority/Arbitrator.

FORM 'J'

(*See* rule 13)

FORM OF COMMISSION

In the matter of.....it is ordered as follow:—

1. A Commission may issue directed to.....of.....for the examination upon interrogatories

or *viva-voce* before the aforesaid Commissioner of the following witnesses:—

(1) .....
(2) .....
(3) .....

2. In the event of any witness on his examination, cross-examination or re-examination producing any book, document, letter, paper or writing and refusing for good cause to be stated in his deposition, to part with the original thereof, then a copy thereof, or extract therefrom certified by the Commissioner to be a true and correct copy or extract shall be annexed to the witness's deposition.

3. Each witness to be examined under the Commission shall be examined on oath, affirmation or otherwise in accordance with the his religion by or before the said Commissioner.

4. The deposition to be taken under and by virtue of the said commission shall be subscribed by the witness or witnesses and by the Commissioner.

5. The interrogatories, cross interrogatories and, deposition together with any documents referred to therein or certified copies thereof or extracts thereform shall be sent to the competent authority/arbitrator on or before the day of.....such further or other day as may be ordered by registered post.

Date this.....day of.....19....

Competent Authority Arbitrator.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित